



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112021-231000
CG-DL-E-10112021-231000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943

No. 4260]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4624(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज (3)
रारा-13 (नया रारा- 169)	सन्तुर जंक्शन से बिकरनाकट्टे खंड (कर्नाटक राज्य में)	किमी. 698.850 से किमी. 743.90

[फा. सं. एनएच-14013/18/2021-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4624(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage (3)
NH-13 (New NH-169)	Sannur junction to Bikarnakatte Section (In the State of Karnataka)	Km. 698.850 to Km. 743.90

[F. No. NH-14013/18/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4625(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

"11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [किमी 0.0 से किमी 592.0 (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा) और किमी 216.914 से किमी 318.000 (बंगलौर-हौसकोटे-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए, [किमी 9.500 से किमी 84.120 (बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 [किमी 348.800 से किमी 423.800 (महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 13 [(किमी 30.340 से किमी 418.750 (शोलापुर-बीजापुर-हुंगुंड हौजपेट चित्रदुर्ग खंड) और किमी 743.900 से किमी 745.000 (मरोली जंक्शन से नंथूर जंक्शन) तक खंड को छोड़कर] और किमी 698.850 से किमी 743.900 (सन्नुर जंक्शन से बिकरनाकट्टे खंड)], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 [(किमी 3.700 से किमी 17.200 और किमी 93.700 से किमी 376.700 (गोवा/कर्नाटक सीमा - कुंदरपुर - सूरतखल - नंथूर - मंगलौर - कर्नाटक/केरल	कर्नाटक राज्य सरकार।"
-----	--	-----------------------

सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 [(किमी 28.200 से किमी 237.000 (राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर नीलमंगला जंक्शन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के देवीहल्ली से मारनहल्ली) और किमी 263.000 से किमी 345.000 (अड्डाहोल से गुंडया से बंतवाल क्रासिंग) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 [किमी 129.249 से किमी 267.00 (हुबलीहोसपेट खंड) और किमी 280.300 से किमी 375.740 (हौजपेट – बेल्लारी – कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 206 [किमी 0.00 से किमी 205.00 (तुमकूर-सिमोगा खंड)], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 207 [किमी 16.80 से किमी 139.180 (बैंगलोर/तमिलनाडु सीमा- होजकोट- दोबासपेट खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 209 [किमी 266.530 से किमी 461.550 तक को छोड़कर] (तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से बंगलौर खंड), राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 212 [किमी 136.600 से किमी 239.600 और किमी 241.520 से किमी 268.475 (केरल सीमा से कोल्लेगल खंड)] , राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 218 [किमी 195.000 से किमी 418.000 (बीजापुर – गुलबर्गा - होमनाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 (आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-बीदर-होमनाबाद खंड), नई रारा सं. 67, नई रारा सं. 150, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150विस्तार, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150ए [किमी 0.00 से किमी 50.00 जेवारगी-शाहाप्युर खंड)] और [किमी 254.80 से किमी 409.00 बेल्लारी-हिरियुर खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 167, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 169ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 173, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 275 [किमी 166.602 से किमी 255.600 मैसूर-मदकेरी खंड) को छोड़कर] और [किमी 223.86 से किमी 342.00 बैंगलोर-मैसूर खंड) को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 367 और नई रारा सं. 766 सी के उतने भाग जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा. सं. एनएच-14013/18/2021-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं. 4561(अ), दिनांकित 1 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4625(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"11	So much of National Highway No.4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (Bangalore to Karnataka /Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to Km.318.000 (Bangalore-Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No.4A [excluding from km. 9.500 to	State Government of Karnataka.

km.84.120 (from Belgaum- Goa/Karnataka Border)], National Highway No.9 [excluding from Km. 348.800 to Km. 423.800(Maharashtra/Karnataka Border), National Highway No.13 [excluding from Km. 30.340 to Km. 418.750 (Solapur-Bijapur-Hungund-Hospet Chitradurga section) and from Km. 743.900 to Km.745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction) **and from Km. 698.850 to Km. 743.900 (Sannur junction to Bikarnakatte Section)**], National Highway No.17 [excluding from Km. 3.700 to Km. 17.200 and Km. 93.700 to Km. 376.700 (Goa/Karnataka Border-Kundarpur- Surathkal- Nanthoor- Mangalor- Karnataka/Kerala Border)], National Highway No.48 [excluding from Km. 28.200 to Km. 237.000 (Nelamangala Junction on National Highway 4 with National Highway 48 to Devihalli to Maranahalli) and from 263.000 to Km 345.000](Addahole to Gundya to Bantwal Cross Section), National Highway No.63 [excluding from km 129.249 to km 267.00 (Hubli- Hospet Section) and excluding from Km.280.300 to Km. 375.740 (Hospet- Bellary-Karnataka/Andhra Pradesh Border section)], National Highway No.67, National Highway No.206 [excluding from km 0.00 to km 205.00 (Tumkur- Simoga Section)] National Highway No.207 [excluding Km.16.80 to Km.139.180 (Bangalore/Tamilnadu border-Hoskote-Dobbaspeth Section)], National Highway No.209 [Excluding from Km 266.530 to Km 461.550] (Tamil Nadu/Karnataka Border to Bangalore Section), National Highway No.212 [excluding from km 136.600 to km 239.600 and from km 241.520 to 268.475 (Kerala border to Kollegal Section)], National Highway No.218 [excluding from Km. 195.000 to Km. 418.000 (Bijapur-Gulbarga-Homnabad section)], National Highway No. 234, new National Highway No. 50 (Andhra Pradesh/Karnataka border-Bidar-Homnabad section), new National Highway No. 67, new National Highway No.150, new National Highway No. 150 Extn, new National Highway No. 150A [excluding km 0.00 to km 50.00 (Jevargi – Shahapuri Section)] and [excluding from km 254.80 to km 409.00 (Bellary- Hiriyur section)]new National Highway No. 167, new National Highway No. 169A, new National Highway No. 173, new National Highway No. 275 [excluding from km 166.602 to km 255.600 (Mysore-Madakeri Section) and [excluding from km 223.86 to km 342.00 (Bangalore-Mysore Section)], new National Highway No. 367 and new National Highway No. 766C as are situated within the State of Karnataka.

[F. No. NH-14013/18/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4561 (E), dated the 1st November, 2021.